छत्तीसगढ़ सूचना आयोग
शंकर नगर, रायपुर

<u>अपील प्रकरण क्रमांक 262/2006</u>

श्री मनोज कुमार .... अपीलार्थी
मकान नं. ए/60
आदर्श नगर, कुशालपुर,
गुड्डू जनरल स्टोर्स के सामने,
रायपुर (छ.ग.)

विरूद्ध

जन सूचना अधिकारी .... प्रतिअपीलार्थी
छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग
रायपुर (छ.ग.)

:: आदेश ::
(11 सितम्बर 2006)

श्री मनोज कुमार निवासी रायपुर के द्वारा दिनांक 12.07.06 को आयोग के समक्ष अपीलीय अधिकारी, छ.ग. लोक सेवा आयोग के आदेश दिनांक 30.06.06 से असंतुष्ट होकर द्वितीय अपील प्रस्तुत की।

2. प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी मनोज कुमार ने सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत लोक सेवा आयोग के सूचना अधिकारी को दिनांक 01.05.06 के पत्र द्वारा आवेदन शुल्क सहित न्यायिक सेवा (मुख्य परीक्षा 2004) की स्वयं की उत्तरपुस्तिकाओं की प्रति चाही। जन सूचना अधिकारी, लोक सेवा आयोग के द्वारा परीक्षा आयोजन की प्रक्रिया एवं भर्तियों पर चयन की गोपनीयता को दृष्टिगत रखते हुए तथा मूल्यांकनकर्ता, जांचकर्ता तथा मुख्य परीक्षक की पहचान हो सकने की संभावना पर विचार कर उत्तरपुस्तिकाओं की सत्यापित प्रति दिये जाने से इंकार किया। अपीलार्थी ने इसके विरूद्ध सचिव, लोक सेवा आयोग प्रथम अपील प्रस्तुत की। अपीलीय अधिकारी ने केन्द्रीय सूचना आयोग के अपील प्रकरण क्रमांक 11/53/2006 सीआईसी दिनांक 02.05.2006 में पारित आदेश जिसके अनुसार प्रतियोगी परीक्षाओं में अपनाई जा रही प्रक्रिया को गोपनीय मानकर परीक्षाओं की उत्तरपुस्तिकाओं को सार्वजनिक नहीं किये जाने का निर्णय दिया है, के आधार पर अपीलार्थी की अपील अस्वीकार की, जिसके विरूद्ध यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई।

3. आयोग के द्वारा जन सूचना अधिकारी, लोक सेवा आयोग को नोटिस जारी किया गया। आयोग के द्वारा अपीलार्थी एवं लोक सेवा आयोग की ओर से उपस्थित श्री जयशंकर नायक के तर्को को सुना गया। लोक सेवा आयोग की ओर से दिनांक 07.09.06 को एक पूरक प्रतिउत्तर भी प्रस्तुत किया जिसमें कि उल्लेख किया गया कि सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 8 (1) (जे) के अंतर्गत प्रतियोगी परीक्षा की उत्तरपुस्तिका को दिया जाना सार्वजनिक हित नहीं है तथा केन्द्रीय सूचना आयोग के

द्वारा लिये गये निर्णय श्री विवेक कुमार सिंह विरूद्ध संघ लोक सेवा आयोग (निर्णय क्रमांक 207 आईसी(ए)/2006 दिनांक 25 अगस्त 2006) तथा सुश्री रूपाली अग्रवाल विरूद्ध संघ लोक सेवा आयोग 214/आईसी/ए/2006 दिनांक 29 अगस्त 2006 का उल्लेख करते हुए उत्तरपुस्तिकाओं की प्रति जनहित में न होने से न दिये जाने का उल्लेख किया।

4. प्रकरण से यह स्पष्ट है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8 (1)(ई) में उल्लेख है कि किसी व्यक्ति को उसकी वैश्वासिक नातेदारी में उपलब्ध सूचना परन्तु ऐसी सूचना को प्रकट किया जा सकेगा यदि लोक सूचना अधिकारी को यह समाधान हो जाए कि ऐसी सूचना के सार्वजनिक होने में विस्तृत लोकहित समाहित है, साथ ही 8 (1)(जे) के अंतर्गत ऐसी सूचना जो व्यक्तिगत सूचना से संबंध रखती है और उसके सार्वजनिक होने से किसी लोक गतिविधि अथवा सार्वजनिक हित का संबंध नहीं है, विशाल लोकहित में ऐसी सूचना का सार्वजनिक होना न्यायहित में नहीं होगा। चूंकि प्रतियोगी परीक्षाऐं गोपनीयता की परिधि में आती है और इनकी उत्तरपुस्तिकाऐं यदि सार्वजनिक होती हैं तो कापी के मूल्यांकनकर्ता की पहचान हो सकती है तथा परीक्षा की गोपनीयता एवं उसकी विश्वसनीयता प्रभावित हो सकती है। अतः ऐसी परीक्षाओं की निष्पक्षता बनाऐ रखना आवश्यक है। किसी परीक्षार्थी की उत्तरपुस्तिका की प्रतिलिपि दिया जाना सार्वजनिक हित में आवश्यक नहीं है। अतः आयोग इस तर्क से सहमत है कि ऐसी परीक्षाओं की उत्तरपुस्तिकाओं की प्रतिलिपियां देने में कोई सार्वजनिक हित सम्मिलित नहीं है। अतः आयोग यह उचित समझता है कि प्रतियोगी परीक्षाओं की उत्तरपुस्तिकाओं की गोपनीयता बनी रहे।

5. उपरोक्त तथ्यों पर विचार करते हुए अपीलार्थी की यह अपील अस्वीकार की जाती है।

(ए. के. विजयवर्गीय)
मुख्य सूचना आयुक्त